

राजस्थान सरकार



हीट-वेव एक्शन प्लान

वर्ष 2025
जिला – जयपुर



जिला नियन्त्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट, जयपुर
0141-2204475 व 2204476,
टॉल फ्री नम्बर 1077

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर (राज)

विषय:-हीट-वेव एक्शन प्लान भिजवाने बाबत।

प्रसंग:-आपका पत्रांक राजकाज रे.नं. 14444908 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में हीट-वेव से बचाव एवं रोकथाम हेतु हीट-वेव एक्शन प्लान चाहा गया है। इस संबंध में निवेदन है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक ना.सु./जयपुर/प्रशि/हीटवेव/2025/राजकाज रे. नं. 14717357 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा लू-ताप प्रबंधन योजना तैयार कर जयपुर जिले के संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रभारी अधिकारियों को लू-ताप प्रबंधन योजना के संबंधित कार्य एवं दायित्व सम्पादित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था एवं साथ ही इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजकाज रेफ.नं. 14787151 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा हीटवेव 2025 में बचाव एवं उपचार के संदर्भ में जारी की गई एडवायजरी की प्रति भी संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रभारी अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई थी। अतः चाही गई सूचना पत्र के संलग्न कर निम्नानुसार सादर प्रेषित है:-

1. तैयार किया गया हीटवेव एक्शन प्लान एवं जारी किये गये पत्र की प्रति।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वारा जारी किया गया लू-तापघात कार्य योजना (एक्शन प्लान) एवं हीटवेव के संबंध में माहवार कार्ययोजना।
3. संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रभारी अधिकारियों के दूरभाष एवं मोबाईल नं.


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
शहर दक्षिण, जयपुर

कार्यालय नियंत्रक एवं जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा, जयपुर

E Mail- civildefencejaipur@gmail.com

क्रमांक :- ना.सु/जयपुर/प्रशि/हीटवेव/2025/

दिनांक

आयुक्त नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर।
आयुक्त नगर निगम, हैरिटेज, जयपुर।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-दक्षिण।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय।
उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर।
जिला पशुपालन अधिकारी, जयपुर।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
जिला रसद अधिकारी, जयपुर।
अधिक्षण अभियंता, विधुत विभाग, जयपुर।
श्रम विभाग, जयपुर।
डीटीओ, परिवहन विभाग।
उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर।
पीआरओ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
एनसीसी, एनवाइके एवं स्काउट्स, जयपुर।
प्रभारी, समस्त एनजीओ, जयपुर।

विषय :- आगामी दिवसो मे लू-लहर से बचाव के लिये विभागो/एजेंसियो की सहभागिता बाबत।

आगामी दिवसो मे लू-लहर से बचाव के लिये समस्त विभागो/एजेंसियो के प्रभारी अधिकारी निम्नानुसार सम्बन्धित कार्य एवं दायित्व संपादित करना सुनिश्चित करें।

(सन्तोष कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर-दक्षिण

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved



लू-ताप प्रबंधन योजना

क्र.स.	विभाग/अधिकारी	लू-ताप प्रबंधन योजना
01	आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर	➤ जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निराश्रित, बेघर, बेसहारा एवं खुले आसमान के नीचे सोने वाले व्यक्तियों हेतु रैनबसेरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाकर रैनबसेरों में अन्य सुविधाएँ यथा-बिछाने हेतु दरिया, ठंडा पानी, ओ. आर.एस. पैकेट उपलब्ध कराना। ➤ नगर निगम द्वारा मुख्य ट्रैफिक सिग्नलों पर ग्रीन नेट लगवाए जाकर आमजन को हीटवेव से राहत हेतु प्रयास करना। ➤ नगर निगम द्वारा गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में अस्थाई ग्रीन नेट लगाकर गौवंश को हीटवेव से बचाव हेतु व्यवस्था करना साथ ही स्मोकगन एवं फायर मशीन द्वारा पानी का छिड़काव कर गौवंश को हीटवेव से बचाव करना। ➤ नगरीय निकायों द्वारा क्षेत्र में प्याऊ स्थापित करने तथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे-बाजार इत्यादि पर छाया की व्यवस्था करना। ➤ नगरीय निकायों द्वारा पक्षियों हेतु दाना-पानी की व्यवस्था, पशुओं हेतु चारा व्यवस्था तथा पानी हेतु खेलियों की व्यवस्था करना। ➤ हीटवेव के प्रभाव को कम करने हेतु मुख्य मार्गों पर समय-समय पर पानी का छिड़काव कराना। ➤ चिकित्सा विभाग से समन्वय कर रैनबसेरों में विश्राम करने वाले व्यक्तियों को लू एवं तापघात से बचाव हेतु पर्याप्त आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों की व्यवस्था, ओ. आर.एस. घोल के पैकेट उपलब्ध कराना साथ ही मोबाईल टीमों का गठन कर विश्राम करने वाले व्यक्तियों की मौके पर ही जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाना। ➤ नगरीय निकायों द्वारा हीटवेव से संबंधित जंगल प्रचार-प्रसार करना। ➤ स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना। ➤ सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के बारे में जनता को जानकारी देना। ➤ हाइजीन और सेनिटेशन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।
02	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर	➤ सभी अधिकारियों जैसे विकास अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आशा सहयोगिनी, आंगनवाडी सेविका को निर्देश देना कि वे हीट वेव से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन को Signature Not Verified लाने के साथ ही लोगों की शिकायतों को दूर करने के उपायों को सुनिश्चित किया जा सके।

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

03	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर –दक्षिण	➤ सभी विभागों के बीच कारगर एवं समन्वित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना ➤ मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की व्यवस्था करना ➤ आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर/हैरिटेज, सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, अधिशाषी अधिकारियों, विकास अधिकारियों को विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश प्रदान करना।
04	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम/द्वितीय जयपुर	➤ एम्बुलेंस 108, दवाईयों, मोबाइल, चिकित्सा दलों, जीवन-रक्षक औषधियों की व्यवस्था करना। ➤ अस्पतालों में तापलहर से बुरी तरह पीड़ित रोगियों को अलग वार्ड में रखना। इसी तरह पलू, वायु एवं जल से पैदा होने वाली संदूषित बीमारियों के रोगियों को अलग वार्ड में रखना। ➤ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बैड्स का इंतजाम करना। ➤ महामारी फैलने से रोकना। ➤ स्वास्थ्य एवं रोग विज्ञान संबंधी निगरानी करवाना। ➤ प्रभावित लोगों के पोषण स्तर की जांच करवाना और उचित इलाज करना। ➤ लक्षण व बचाव के उपाय हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना। (MO/NO) ➤ जिला मुख्यालय एवं सभी खण्ड मुख्यालयों पर कंट्रोल रूम की स्थापना करना। ➤ लू एवं तापघात से बचाव हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समस्त अस्पतालों में मरीजों हेतु आरक्षित बैड्स की व्यवस्था की जाकर कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करना। ➤ जिला मुख्यालय एवं खण्ड मुख्यालय पर रेपिड रिसपॉन्स टीम तथा जिला/उप जिला चिकित्सालयों, सीएचसी, पीएचसी व युपीएचसी स्तर पर त्वरित बचाव दल का गठन करना। ➤ सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ को लू एवं तापघात के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। ➤ सभी चिकित्सा संस्थानों पर ओआरएस, आईवी फ्ल्यूड सहित आवश्यक/जीवनरक्षक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ➤ 108 एम्बुलेंस बेस एम्बुलेंस तथा एमएमयू एवं एमएमवी को ऑनरोड रखना। ➤ Heat illness and death report का संधारण IHIP Portal पर प्रतिदिन करना। ➤ लू-तापघात से बचाव हेतु सभी विभागों से यथा-पशुमलन, आयुर्वेद आदि से समन्वय स्थापित करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar
Meena
Designation : Additional Collector And
Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

05	आयुर्वेद - उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग - जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर	चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना।
06	पशुपालन विभाग जिला पशुपालन अधिकारी, जयपुर	- पीड़ित पशुओं का इलाज करना। - पशुओं की बीमारियों पर निदान करना। - पक्षियों के लिए पानी के परिडें लगवाना। - ग्रीष्म ऋतु एवं लू-ताप के प्रकोप के मध्यनजर गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिये पानी आपूर्ति किये जाने हेतु संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा गौशाला प्रभारियों को निकटतम प्रभारी अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्पर्क कर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। - आपातकालीन स्थिति हेतु आर.आर.टी.टी.मों को सतर्क करते हुए आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराना। - पशुपालन विभाग जयपुर द्वारा दोपहर 12 बजे से सांय 05 बजे तक पशुओं को काम में नहीं लेने हेतु जिले की सभी पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों को निर्देशित करना।
07	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED)	- पर्याप्त मात्रा में वाटर टैंकर, ब्लीचिंग, पाउडर, नये हैंडपंप लगाना, वर्तमान हैंडपंप की मरम्मत करना, सेनिटेशन ब्लाक आदि की व्यवस्था करना - हाइजीन और सेनिटेशन के बारे में जागरूकता फैलाना - पेयजल हेतु पानी की नियमित जलापूर्ति करना। - आवश्यकता पडने पर वाटर टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध कराना। - नगरीय निकायों द्वारा स्थापित जल मंदिरों (प्याऊ) में पानी की व्यवस्था करना।
08	विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता	- बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना - सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने हेतु उन्हें अलर्ट मोड पर रखना। - निगम स्तर पर प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों का एफआरटी टीम द्वारा तत्परता से निस्तारण करना। - सभी आवश्यक उपकरणों, मशीनरी व अन्य आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। - पीएचईडी कनेक्शनों को निगम नियमानुसार सुचारु रूप से विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराना। - पीएचईडी द्वारा आवेदित कनेक्शन एवं अन्य सभी श्रेणियों के विद्युत कनेक्शनों को तय समय पर जारी करना।
09	जिला रसद अधिकारी	- बर्फ की आपूर्ति और जैनरेटर्स की व्यवस्था करना - खाद्य राहत

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

10	श्रम विभाग	➤ संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर द्वारा समस्त श्रम निरीक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त औद्योगिक संस्थानों व ईट भट्टों व निर्माण ईकाइयों में लू-तापघात से बचाव हेतु विभागीय जारी निर्देशों की पालना करना। ➤ श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न चौखटियों पर जाकर श्रमिकों को हीटवेव से बचाव हेतु जागरूक करना। ➤ श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों पर जाकर विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना। ➤ जिले में स्थित विभिन्न औद्योगिक संघों को उनके कार्यक्षेत्र में दिशा-निर्देशों की पालना हेतु निर्देशित करना।
11	सड़क परिवहन • डीटीओ	➤ प्रशासन के निर्देशानुसार पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करना।
12	नागरिक सुरक्षा, जयपुर	➤ जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में 24X7 राउण्ड द क्लॉक जिला नियंत्रण कक्ष/EOC नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं, कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना। ➤ सभी संबंधित विभागों से समन्वय एवं विपरीत परिस्थितियों में रेपॉन्स हेतु कंट्रोल रूम पर जिला त्वरित कार्यवाही दल की तैनाती करना। ➤ आपातकालीन परिस्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0141-2204475, 2204476 पर आमजन द्वारा सम्पर्क किये जाने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
13	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग • पीआरओ (PRO)	➤ लोगों को स्वास्थ्य, हीटवेव के बारे में जागरूक, बचाव के उपाय करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, जिंगल्स, रेडियो, टीवी कार्यक्रमों को जारी/प्रकाशित करना। ➤ अफवाहों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही हैं। ➤ विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर प्रचार-प्रसार किया जाकर आमजन को जागरूक करना। ➤ मौसम विभाग द्वारा प्राप्त चेतावनी को जिला प्रशासन द्वारा समस्त उपखण्ड एवं तहसील स्तर पर अग्रेषित करना।
14	एनसीसी, एनवाइके, एवं स्काउट्स	➤ स्वयंसेवक उपलब्ध कराना ➤ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की मदद करना
15	एनजीओ (NGO)	➤ जिला/स्थानीय प्रशासन को सहयोग देना ➤ हाइजीन एवं सेनिटेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

गर्मी/ताप की लहर (क्या करें और क्या न करें)

क्या करे (Do"s)

सभी के लिये

- रेडियो सुने/टीवी देखे/स्थानीय मौसम की जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ें या संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
- पर्याप्त पानी पिये— अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिये ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन) , घर के बने पेय जैसे लस्सी, नींबू का पानी छाछ, दही, पानी आदि का सेवन करें।
- हल्के रंग के ढीले, सूती कपड़े पहने।
- यदि कहीं बाहर हैं तो अपना सिर ढकें – कपड़े, टोपी या छतरी का उपयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिये धूप के चश्मे का प्रयोग करें। त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगायें।
- प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण ले।

नियोक्ता और श्रमिक

- कार्य स्थल पर ठण्डे पेयजल का प्रबन्ध करें।
- सभी श्रमिकों के लिये आराम के लिये छाया, साफ पानी, छाछ, आइस पैक के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन) का प्रबंध करें।
- श्रमिकों के लिए सीधी धूप से बचने के लिए कहें।
- श्रमसाध्य कार्यों को दिन के कम ताप वाले समय में ही करें।
- बाहरी गतिविधियों के दौरान विश्राम करने की आवृत्ति और सीमा समय बढ़ायें।
- श्रमिकों का लू से संबंधित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
- जिन श्रमिकों के लिये गर्मी वाले क्षेत्र नये हो, उन्हें हल्का काम और कम घंटों का काम दे।

अन्य सावधानियां

- बन्द वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला न छोड़ें।
- पंखे, कूलर, एसी का प्रयोग करें, नम कपड़ों का प्रयोग करें, ठंडे पानी में स्नान करें।
- सार्वजनिक परिवहन और कार— पुलिंग का उपयोग करें। यह भूमण्डलीय उष्मीकरण और गर्मी को कम करने में मदद करेगा।
- ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगायें। सूखी पत्तियों, अवशेषों और कचरे को न जलाएं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

- जल स्रोतों का संरक्षण करें। वर्षा के जल को संग्रहित करें।
- अगर आपको चक्कर आ रहे हों या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डाक्टर के पास जायें या किसी अन्य व्यक्ति में गर्मी से अस्वस्थ होने के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत डाक्टर के पास ले जाए।

नया घर बनाते समय

- नियमित दीवारों की बजाय कैंविटि तकनीक का उपयोग करें।
- चौड़ी दीवारें बनवाएँ। वे घर को ठंडा रखती हैं।
- दीवारों को रंगने के लिये प्राकृतिक सामग्री जैसे चूना या मिट्टी का उपयोग करें।
- यदि संभव हो तो कांच के इस्तेमाल से बचें।
- निर्माण करने से पहले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ से सलाह लें।

मवेशी के लिये

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिये पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दें।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न ले।
- शेड की छत को पुआल से ढक दें, तापमान कम करने के लिये इसे सफेद रंग/चूने से रंग दें या गोबर से लीप दें।
- शेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फार्मस का प्रयोग करें।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान, पानी का छिड़काव करें और मवेशियों को ठंडा रखने के लिए एक जल निकाय पर ले जाएं।
- उन्हें हरी घास, प्रोटीन-वसा, बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने हेतु बाहर निकालें।

क्या न करें (Don't)

- धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच।
- दोपहर में बाहर भारी कामों से बचें।
- नंगे पांव बाहर न जायें।
- दिन के सबसे गर्म समय के दौरान खाना पकाने से बचें।
- खाना पकाने वाले हिस्से को हवादार बनाये रखने के लिये दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें।
- शराब, चाय कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। ये शरीर को निर्जलित करते हैं।
- अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें। बासी भोजन न खाएँ।

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

- पार्क किये गये वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें वे गर्म हवा से प्रभावित हो सकते हैं।
- ऐसे बत्तों का उपयोग करने से बचें जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि लगातार चलते हुये कम्प्यूटर या बिजली के उपकरण।

लू से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिये टिप्स :

- तापमान को कम करने के लिये पीड़ित के सिर पर गीले कपड़े का उपयोग करें/पानी डालें।
- व्यक्ति को ओआरएस/नींबू शरबत या छाछ या जो कुछ भी शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिये उपयोगी हो, पीने के लिये दें।
- प्याज पास रखें एवं सेवन करें। छाछ राबड़ी बनाकर खायें।
- व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar
Meena
Designation : Additional Collector And
Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 20:05:16 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर

E-mail- eocjaipur@gmail.com

क्रमांक :- आपदा / Heat wave / 2025 /

दिनांक :-

1. आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
2. पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण।
3. उपायुक्त पुलिस (उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/यातायात) जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर जन.स्वा.अभि. विभाग जयपुर शहर-उत्तर/दक्षिण/ग्रामीण।
7. अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण लि० जयपुर शहर-उत्तर/दक्षिण/ग्रामीण।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर शहर/ग्रामीण।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर (प्रथम/द्वितीय)
10. जिला रसद अधिकारी (शहर/ग्रामीण)।
11. जिला परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम/द्वितीय/शाहपुरा/दूतू।
12. जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर।
13. जिला पशुपालन अधिकारी, जयपुर।
14. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर।
15. समस्त विकास अधिकारी जिला जयपुर।
16. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, जिला जयपुर।
17. उम मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक, श्रम विभाग, जयपुर।
19. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, जयपुर।
20. उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, जयपुर।
21. मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैरिटेज/ग्रेटर नगर निगम जयपुर।
22. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कलेक्ट्रेट जयपुर।
23. समस्त तहसीलदार जिला जयपुर।

विषय:- Advisory/IEC for Heat wave 2025 के क्रम में ।

प्रसंग:- आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक एफ 14(1) आ०प्र० एवं सहा.
/ लू-ताप / 2025 / राजकॉज रेफरेन्स नम्बर 14444933 दिनांक 28.03.2025

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज० द्वारा हीट वेव 2025 में बचाव एवं उपचार के संदर्भ में जारी की गई एडवायजरी की प्रति संलग्न प्रेषित कर जयपुर जिले में 2025 में हीट वेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबंधन के लिए लू-ताप के बचाव से आमजन के राहत हेतु भारत एवं राज्य सरकार द्वारा "गर्मी/लू-ताप की लहर (क्या करें और क्या न करें)" एडवायजरी 2025 एवं इस कार्यालय के पत्रांक राजकॉज रेफरेन्स नम्बर 14717357 दिनांक 09.04.2025 द्वारा जारी लू-ताप प्रबंधन योजना (संलग्न) के अनुसार संबंधित विभाग अपना-अपना कार्य एवं दायित्व सम्पादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही एडवायजरी हीट वेव 2025 " गर्मी/लू-ताप की लहर (क्या करें और क्या न करें)" का आमजन में प्रचार-प्रसार करें ताकि जिले में लू-ताप से जन हानि एवं पशु हानि न होने पावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(संतोष कुमार मीना- I)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त
मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-दक्षिण

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, जिला कलक्टर जिला जयपुर।
4. कार्यालय प्रति।

Signature Not Verified

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त

मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-दक्षिण
Digitally Signed by Santosh Kumar
Meena

Designation : Additional Collector And

Additional District Magistrate

Date: 2025.04.17 17:22:05 IST

Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय
आईडीएसपी/2025/31

दिनांक 06-03-2025

लू-तापघात कार्य योजना (एक्शन प्लान)-2025

- **कन्ट्रोल रूम की स्थापना :-** जिला मुख्यालय एवं सभी खण्ड मुख्यालयों पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है तथा सभी खण्ड में कन्ट्रोल रूम संचालित है। जिला मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 7374004405
- **आरआरटी का गठन :-** जिला मुख्यालय व खण्ड मुख्यालय, रेपिड रिस्पॉन्स टीम तथा जिला/उप चिकित्सालय, सैटेलाइट, सीएचसी, पीएचसी, युसीएचसी व युपीएचसी स्तर पर त्वरीत बचाव दल का गठन कर लिया गया है। जिला अस्पताल एवं उपजिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रा.स्वा. केन्द्र पर लू-तापघात के मरीजों के लिए बैड आरक्षित कर लिये गये हैं। सभी संस्थानों पर कुलर, पेंखे, इत्यादि की व्यवस्था, एवं गरीज व उनके परिजनो के लिए शुद्ध एवं ढण्डे पेयजल की व्यवस्था है।
- **दवाईयों की उपलब्धता :-** सभी चिकित्सा संस्थानों पर ओआरएस, आईवी फ्ल्यूड सहित आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है। इसी क्रम में 108 एम्बुलेंस, बेस एम्बुलेंस तथा एमएमयू एवं एमएमवी को ऑनरोड रखे जाने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।
- **मासिक बैठक :-** समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अप्रैल माह में होने वाली मासिक बैठकों में लू-तापघात को मुख्य एजेन्डा बनाकर इस पर विस्तार से चर्चा कर सभी चिकित्सा अधिकारी, प्रशासिका, एलएचवी, आशाओं तथा समस्त विभागीय कार्मीकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा दैनिक रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- **अंतरविभागीय समन्वय :-** अप्रैल माह से पूर्व अन्य विभागों जैसे कि, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जलदाय विभाग आदि विभागों के साथ लू-तापघात की शोकथाम हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजन कर लिया गया है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कर लिया गया है।
- **प्रचार-प्रसार :-** लू-तापघात से बचने हेतु प्रचार प्रसार करने हेतु ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इस बाबत प्रशिक्षित किया जा चुका है। एवं उनको निर्देशित किया गया है कि आमजन को अपने-अपने क्षेत्र में इस बाबत लू-ताप घात से बचने के लिए शिक्षित कर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। जिला स्तर से आईईसी सामग्री के लिए प्रम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्श एवं होर्डिंग लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार संस्थाओं पर उपलब्ध एलईडी/टीवी पर ओडियो व विडियो का प्रदर्शन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जिन्हे खण्ड में भिजवाया जा रहा है एवं अति शीघ्र वितरण करने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं। इस हेतु स्थानीय मीडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी से इस बाबत निवेदन किया गया है कि समय समय पर बुलेटिन जारी किया जाकर आमजन को लूताप घात से बचाव हेतु जागरूक किया जाये। जिला आई ई सी समन्वयक इस सम्बंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे। इस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में भी इस बाबत समय समय पर प्रेसनोट जारी किये जायेंगे।
- **पीआरआई एवं स्थानीय प्रशासन :-** ग्रामसेवक, स्वच्छता निरीक्षक, पटवारी, आशा सहयोगिनी, आगनवाडी कार्यकर्ता आदि को जानकारी प्रदान करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों जिला व खण्ड स्तरिय बैठकों के माध्यम से राज्य सरकार के निर्देशानुसार वांछित गतिविधियां सम्पादित करने तथा सहयोग हेतु आग्रह किया जावेगा।

- सभी चिकित्सा संस्थानों पर आरआरटी चिन्हित की जाकर संस्था पर निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करें—

- ✓ ओआरएस, आईवी फ्लयुड सहित मौसमी बिमारियों के लिए आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता
- ✓ सर्वे दलों के लिए मौसमी बिमारियों के लिए आवश्यक दवाईयों, 2ए-बी सर्वे प्रपत्रों व वेक्टर नियंत्रण हेतु इनसेक्टीसाइड की उपलब्धता
- ✓ लू-तापघात के लिये आवश्यक बेड्स तथा उनके लिए कूलर एवं पंखे आदि की व्यवस्था
- ✓ प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स/मेल नर्स/प्रसाविका/आशा सहयोगिनी आदि का दल बनाया जाकर सर्वे एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी दिया जाना
- ✓ मौसमी बिमारी आदि के प्रभावी क्षेत्र में रोकथाम एवं जानकारी प्रदान करने के लिये अन्य विभागों से समन्वय
- ✓ जन स्वास्थ्य अभियान्तिकी विभाग से सम्पर्क कर शुद्ध पेयजल उपलब्धता, पीएचईडी व नॉन पीएचईडी जल स्रोतों की नियमित जांच व जल शुद्धिकरण
- ✓ लू तापघात के मरीजों को आवश्यकतानुसार समय रहते रेफरल हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था
- ✓ मरीज तथा उसके परिजनो के लिए शुद्ध एवं ठंडे जल की व्यवस्था
- ✓ किसी भी प्रकार की अप्रिय स्वास्थ्य घटना या आउटब्रेक होने पर स्थानीय त्वरीत बचाव दल द्वारा तत्काल उस घटना या आउटब्रेक की जांच व आवश्यक प्रबंधन करना
- ✓ खण्ड स्तरीय आरआरटी द्वारा स्थानीय त्वरीत बचाव दल की तत्काल उस घटना या आउटब्रेक की जांच व आवश्यक प्रबंधन में जिला स्तरीय आरआरटी के निर्देश में सहायता करना
- ✓ सभी संस्थाओं पर जल गुणवत्ता हेतु क्लोरोस्कोप तथा ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन टेबलेट की उपलब्धता तथा इनका समुचित व नियमित उपयोग
- ✓ लू-तापघात व मौसमी बिमारियों के रोगी चिन्हित होने पर इसकी तत्काल सूचना जिला मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं एपीडेमियोलॉजिस्ट को दिया जाना सुनिश्चित करें।
- ✓ लू-तापघात व मौसमी बिमारियों की दैनिक रिपोर्ट निर्धारित आई.एच.आई.पी. पोर्टल पर दैनिक रूप से रिपोर्ट करवाई जा रहा है।
- ✓

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय

मिनी स्वास्थ्य, भवन सेठी कॉलोनी, जयपुर फोन नं 7374004405

क्रमांक:- एन.पी.सी.सी.एच.एच./2025/39

दिनांक : 17/3/25
रोग निगरानी अति आवश्यक

समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जयपुर द्वितीय।

विषय :- क्षेत्र में Heat Wave से संबंधित प्रोटोकॉल की पालना के कम में।

सन्दर्भ :- निदेशालय के पत्रांक /NPCCHH/2025/136 दिनांक 12.03.2025 के संबंध में।

उपरोक्त सदरित विषयान्तर्गत लेख है कि जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में प्रतिदिन हो रहे असामान्य तापमान में वृद्धि के कारण मानव पर स्वास्थ्य मौसम का दुष्प्रभाव लक्षित हो रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुये हिट वेव के दौरान समुचित प्रबंधन हेतु संबंधित प्रोटोकॉल आपको सुलभ संदर्भ हेतु भिजवाया जा रहा है-

List of protocols

1. Treatment protocol for Heat Exhaustion.
2. Algorithm for the initial evaluation of a patient with suspected heat related illness.
3. Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre.
4. Management Workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke patient at tertiary level.
5. Management Workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke in children.
6. Management Workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke in Adult Patient.
7. Emergency Cooling of Severe HRI Case during Ambulance Transport.
8. Sign, Symptoms and Treatment of patients with Heat Stroke.
9. Cooling Methods.

लू-तापघात प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार से संबंधित विडियो लिंक:-

1. <https://youtu.be/A-x3L-C4AoE> (Management of Heat Stroke Mockdrill)
2. <https://youtu.be/4L8xnnZ2txg> (TACO Method)

उक्त विडियो लिंक को आपके संस्थानों के चिकित्सा कर्मियों एवं एम्बुलेन्स कार्मिकों के वाटसऐप ग्रुप पर शेयर करें।

संलग्नानुसार:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय

दिनांक : 17/3/25

क्रमांक:- एन.पी.सी.सी.एच.एच./2025/39

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर।
3. श्रीमान अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक (जोन जयपुर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर।
5. श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. श्रीमान संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) एवं एसएसओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.जयपुर।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/राहरी कार्यक्रम प्रबन्धक एन.यु.एच.एम. ईकाई जयपुर द्वितीय को भेजकर लेख है कि आपके संस्थानों पर सुपरविजन एवं मोनिटरिंग की सुनिश्चितता करावे।
8. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय



Treatment Protocol for Heat Exhaustion

Remove from the environmental heat exposure and stop physical activity

Initiate passive cooling procedures

- Cool-wet towels or ice packs to axillae, groin, and around neck.
- If patient is stable, may take a cool shower, but evaluate the risk of such activity against gain and availability of other cooling measures
- Spray cool water or blot cool water onto skin
- Use fan to blow cool air onto the moist skin

Temperature
(lower than 104 °F)

Repeat assessment every 5 minutes

If improving, attempt to orally hydrate
(clear liquids, ORS can be used but not necessary, cool liquids better than cold)

Observe

Temperature
(104 °F or above)

Initiate IV rehydration

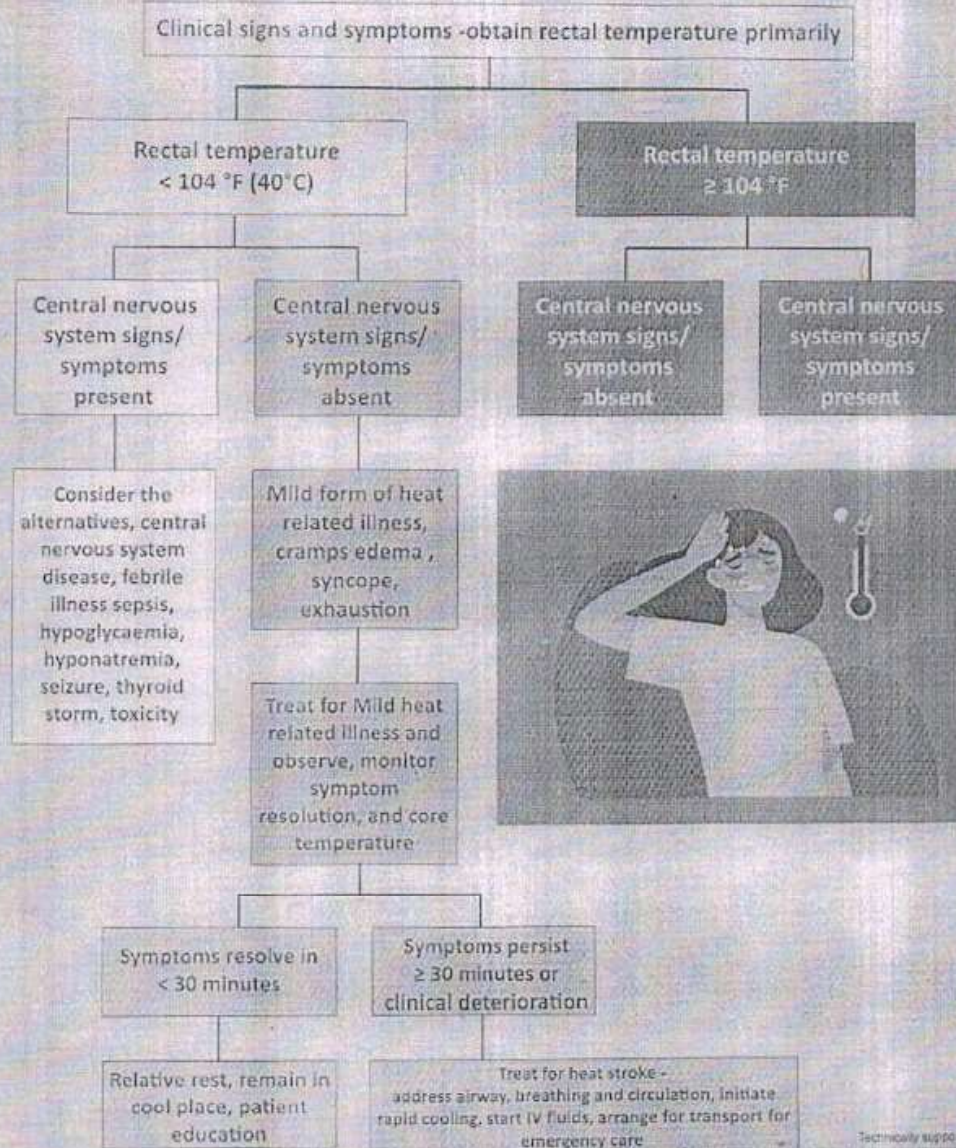
Immediately transport to the Heatstroke Room in PHC/CHC/SDH/DH for Stabilization.



Technically supported by



Algorithm for the initial evaluation of a patient with suspected heat related illness

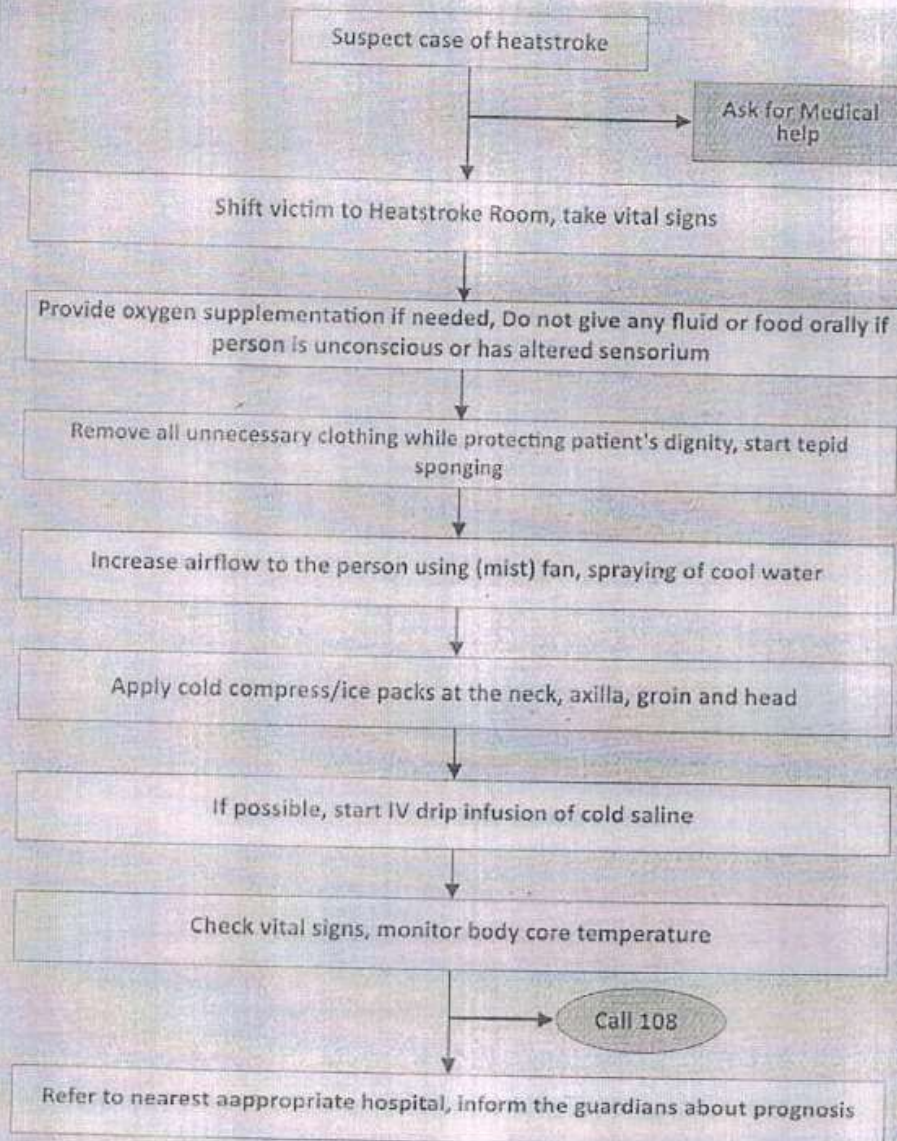


Technically supported by

unicef india chd

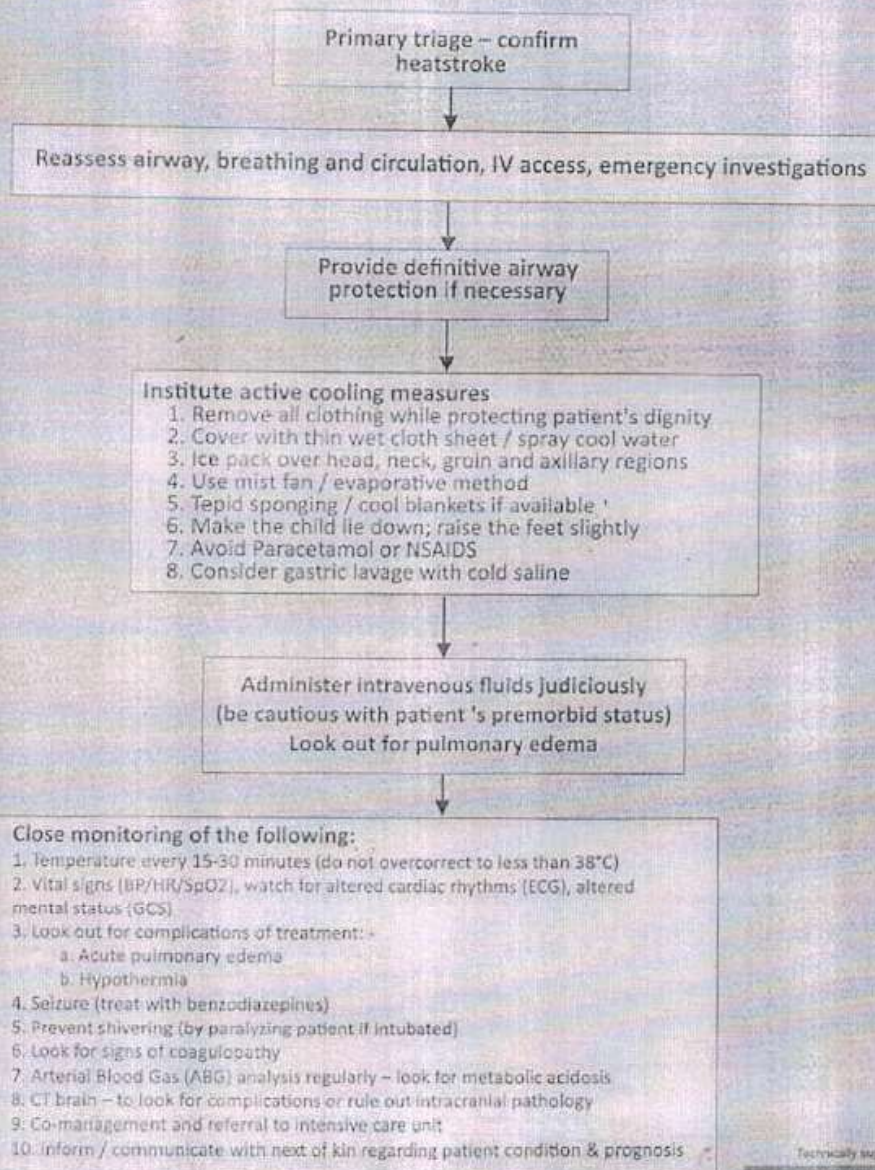


Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre

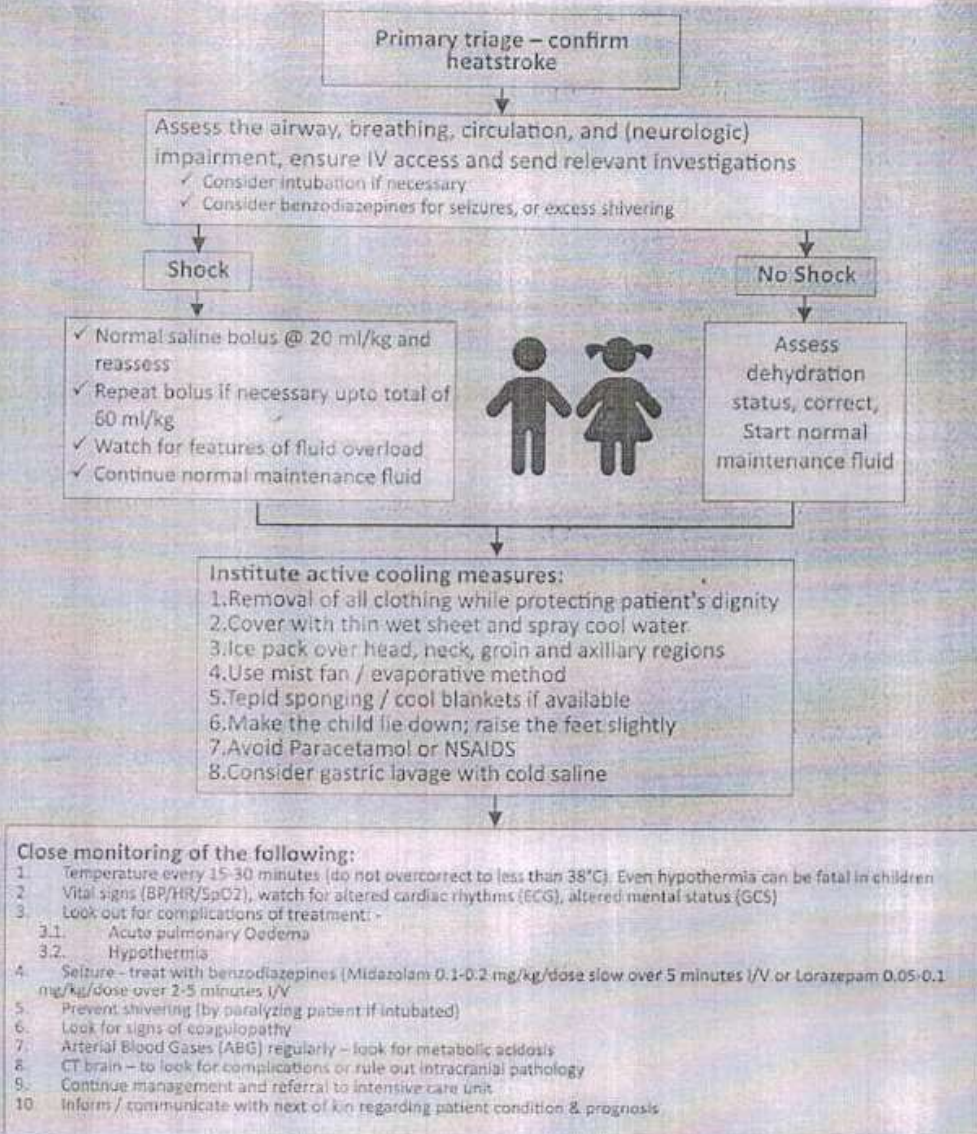




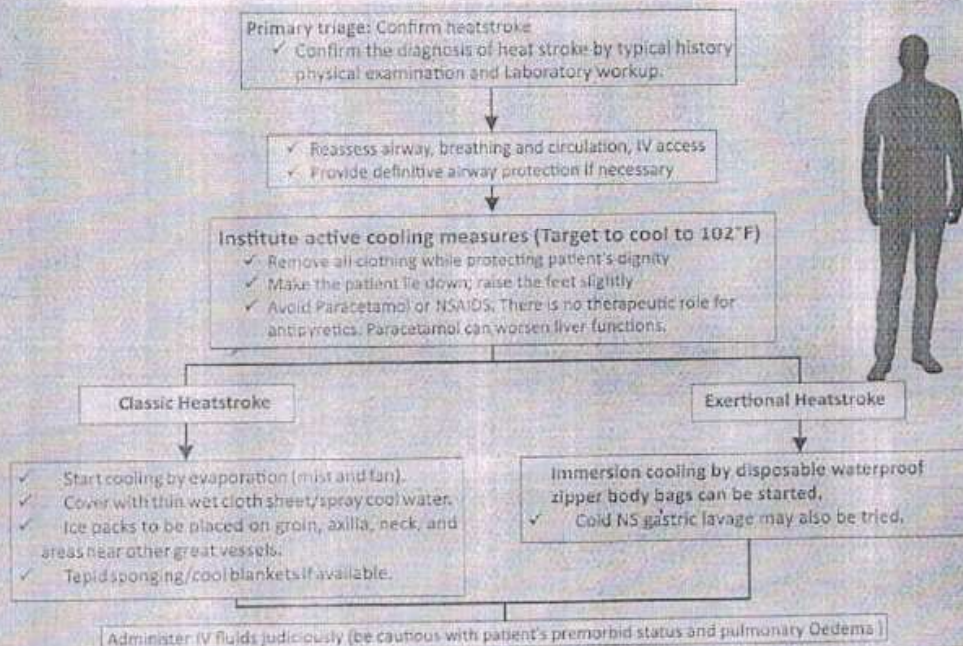
Management Workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke Patient at tertiary level



Management workflow in Emergency Department for Management of Heatstroke in children



Management workflow in Emergency Management of Heatstroke in Adult Patient



Closely monitor following:

1. Temperature (Rectal) every 15-30 minutes. Continuous core temperature monitoring should be done (do not overcorrect to less than 38°C). If rectal temperature recording is not feasible, then use the equation: $0.94 \times \text{axillary temperature} + 2.92$ to convert axillary to rectal temperature (in °C).
2. Airway, breathing, circulation to be ensured.
3. Vital signs (BP/HR/SpO₂), watch for altered cardiac rhythms (ECG), altered mental status (GCS).
4. RBS and serum electrolytes to be done and corrective actions to be taken.
5. Hypotension despite fluid resuscitation to be preferably corrected by I.V. dopamine or dobutamine.
6. Look out for complications of treatment:
 - 6.1. Acute pulmonary edema
 - 6.2. Hypothermia
7. Treat seizure with benzodiazepines (name of commonly available as per (avoid
8. Prevent shivering (by paralyzing patient if intubated)
9. Look for signs of coagulopathy (bleeding, etc. signs)
10. Arterial Blood Gas (analysis regularly look for metabolic acidosis)
11. CT brain to look for complications or rule out intracranial pathology, if facility
12. Co-management and referral to intensive care unit
13. Inform/communicate with next of kin regarding patient condition/prognosis

If rectal temperature recording is not feasible, then use the following equation to convert axillary temperature to rectal temperature (in °C)

$$0.94 \times \text{axillary temperature} + 2.92$$

Page no. 1, Strengthening Health Systems Preparedness for heat related illnesses (HRI) in India, MOH/W, GOI (18th April, 2023)

Technically supported by

Central & for every child

Emergency Cooling of Severe HRI Case during Ambulance Transport

TARGET – Cool and Transport fast to nearest health care facility

Tarp-assisted cooling with oscillation (TACO) method of cooling may be employed in adult cases of exertional heatstroke

- ✓ Identify a suspected case of heat stroke by typical history
- ✓ Taking temperature (preferably by rectal thermometer).

- ✓ Continue cooling in ambulance by evaporation (mist and fan)
- ✓ Place ice packs on groin, axilla, neck, and areas near other great vessels.

Check RBS by glucometer and start intravenous D50W/D25W if hypoglycemic.

Start oxygen supplementation, if needed



Technically supported by

UNICEF



Sign, Symptoms and Treatment of Patients with Heat Stroke

- Heat stroke occurs when the thermoregulatory mechanisms fail.
- Body temperature can rise to 106°F or higher within 10-15 minutes.
- Most severe form of heat-related illness.
- Lead to death or permanent disability if not treated at the proper time.
- Medical emergency and requires immediate hospitalization.

Signs

- ✓ Flushed dry skin (not always).
- ✓ Core temperature $\geq 40^{\circ}\text{C}$ (103°F or higher).
- ✓ Altered mental status with disorientation, possibly delirium, coma, seizures, tachycardia, +/- hypotension.

Symptoms

1. Severe overheating
2. Profound weakness
3. Disorientation
4. Obtundation
5. Seizures or other altered mental status
6. High body temperature
7. Hot red dry or damp skin
8. Fast strong pulse
9. Headache
10. Dizziness
11. Nausea
12. Confusion

Initial patient assessment

- ✓ Skin may appear pale associated with tachycardia or hypotension.
- ✓ Headache, dizziness, nausea, vomiting, as well as diarrhea and loss coordination may occur.
- ✓ Patients are advised to be in supine position with the elevation of legs.
- ✓ Remove excess clothing of patient while ensuring patient's privacy.
- ✓ Oral fluids recommended for rehydration.
- ✓ Monitor vital signs.
- ✓ Transfer to Heatstroke room if symptoms don't improve after 30-30 minutes of onset.

Diagnosis: It's usually apparent to doctors if the patient have heat stroke, but laboratory tests can confirm the diagnosis.

- ✓ Rule out the other causes for symptoms
- ✓ Assess organ damage

Laboratory and X-rays test

Rectal temperature to check core body temperature of patient.

(Rectal temperature is the most accurate way of determining core body temperature and is more precise than mouth or forehead temperatures.)

Blood Test to check blood sodium or potassium and the content of gases in the blood to see if there's been a damage to the central nervous system.

Muscle Function Test to check for serious damage to the muscle tissue (rhabdomyolysis).

X-rays and other imaging tests to check for damage on the internal organs.

Urine Test:

- ✓ To check the color of urine, because it's usually darker if one has had a heat-related condition.
- ✓ To check the kidney function, which can be affected by heat stroke.

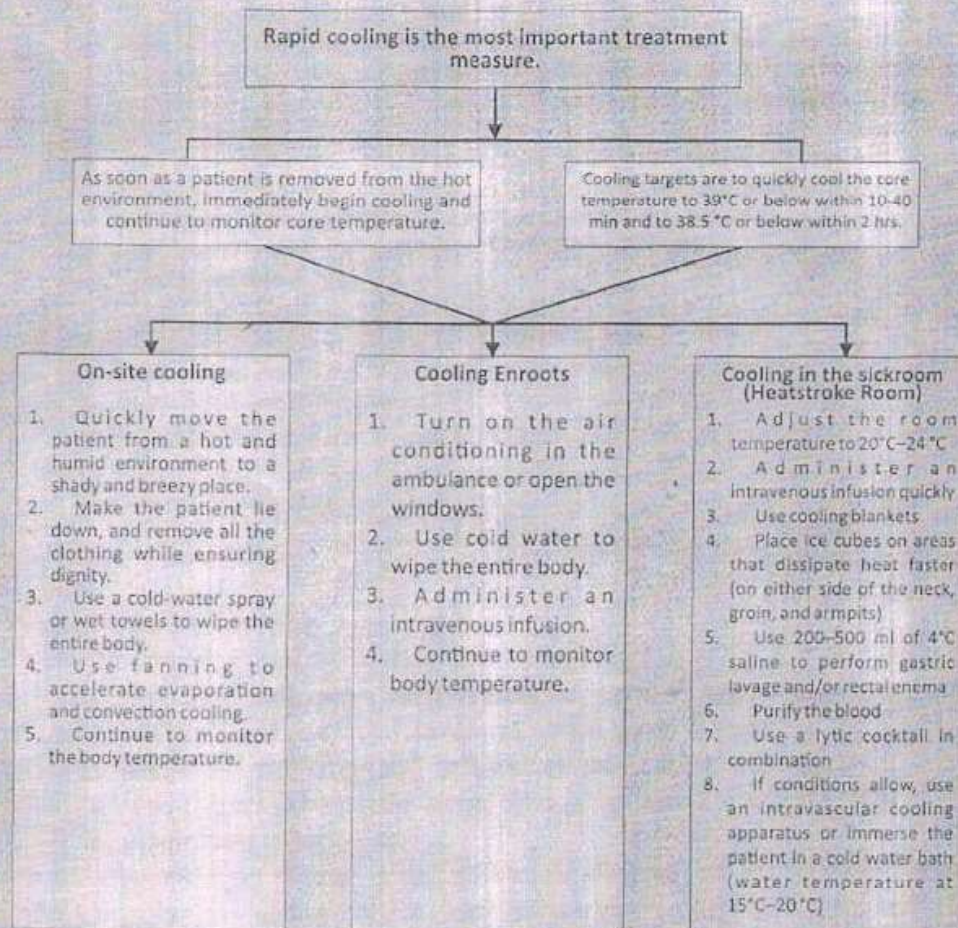
Treatment Protocol

- ✓ Immediate shift to Heatstroke room
- ✓ Adjust the room temperature to 20°C - 24°C
- ✓ Administer an intravenous infusion quickly
- ✓ Sponging with ice packs and cold water. Or Use cooling blankets
- ✓ Place ice cubes on areas that dissipate heat faster (on either side of the neck, groin, and armpits)
- ✓ Use 200-300 ml of 4°C saline to perform gastric lavage and/or rectal enema
- ✓ Purify the blood
- ✓ Use a lytic cocktail in combination
- ✓ If conditions allow, use an intravascular cooling apparatus or immerse the patient in a cold water bath (water temperature at 15°C - 20°C)

1. Early cooling
2. Early expansion
3. Early blood purification
4. Early sedation
5. Early intubation
6. Early correction of coagulation dysfunction
7. Early resistance to infection
8. Early enteral nutrition
9. Early immune regulation, and
10. Ban on surgical operations during the periods of coagulation dysfunction

Specific treatment measures (if required) are "9 EARLY and 1 BAN"

Cooling Methods



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय

मिनी स्वास्थ्य, भवन सेठी कॉलोनी, जयपुर फोन नं 7374004405

क्रमांक:- आईडीएसपी/2025/32

दिनांक : 06-03-2025

रोग निगरानी-अति आवश्यक

समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
NUHM शाखा
जयपुर द्वितीय।

विषय :- गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षण, बचाव एवं उपचार की माहवार कार्ययोजना के क्रम में।

संदर्भ :- निदेशालय के पत्र क्रमांक चि.प्र./NPCCHH/2025/122 दिनांक 05.03.2025 के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि मौसमी विभाग के पूर्वानुमान अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में सम्भावित Heat Wave के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों को तुरन्त गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, इस हेतु मार्च 2025 से जून 2025 तक की माहवार कार्ययोजना आपके प्रेषित की जा रही हैं, के अनुरूप आप अपने क्षेत्र में गर्मी से होने वाली बीमारियों के बचाव एवं उपचार की सुनिश्चितता करें।

संलग्न :- माहवार कार्ययोजना - 2025 उपचार हेतु दिशा निर्देश।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय

दिनांक : 06-03-2025

क्रमांक:- आईडीएसपी/2025/32

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम एवं वि. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें, राज. जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
4. श्रीमान अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक (जोन जयपुर) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
6. श्रीमान जिला कलेक्टर, जयपुर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.) एवं एसएसओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
8. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर द्वितीय

Heat Wave

माहवार कार्य योजना- 2025

क्र.सं	माह	गतिविधियां
1	मार्च	- समस्त खण्ड में गर्मी जनित बीमारियों से बचाव हेतु दो से तीन माह की दवा (ओआरएस, जिंक इत्यादि) की उपलब्धता की सुनिश्चितता। - Suspected heat Related illness के मरीज के Rapid Assesment हेतु भारत सरकार के Standard Treatment protocol की पालना Emergency में ही किए जाने की सुनिश्चितता। - खण्ड के समस्त चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ का scnsitization किये जाने की सुनिश्चितता।
2	अप्रैल	- अस्पताल की क्षमता के अनुसार Heat Stroke के मरीजों के लिये Dedicated Bed की व्यवस्था की सुनिश्चितता। - Emergency के लिये Rapid Response Team का गठन खण्ड स्तर पर किये जाने की सुनिश्चितता। - Staff, Bed IV fluid, ORS Essential Medicine, Equipment एवं मानव संसाधन की पर्याप्त व्यवस्था जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चितता। - स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा अपने आस-पास के समुदायिकों के लिए Awareness Campign चलाना जिसमें गर्मी से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा की जावे। यथा:- ✓ नशीले पदार्थ, शराब, चाय, काफी, उच्च प्रोटीन, युक्त खादय पदार्थ, कार्बोनेटेड शीतल पेय के सेवन से बचना। ✓ गर्म हवाओं की स्थिति जानने के लिये रेडियो, टी.वी. पर मौसमी के पूर्वानुमान की जानकारी लेना। ✓ हल्के ढीले-ढीले वस्त्र पहन कर तथा धूप में चरमा, छाता, टीपी एवं जूता पहन कर घर से निकलना। ✓ यात्रा के समय पानी की बोतल अवश्य रखना। गर्मी के दिनों में ओ.आर.एस. का घोल, निम्बू पानी, कच्चे आम का रस एवं लस्सी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। ✓ दिन के समय यथा संभव दोपहर 2.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक बाहर जाने से बचना। ✓ बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, वृद्धजन एवं श्रमिक का विशेष ध्यान रखना। ✓ स्वास्थ्य केन्द्रों पर किसी भी Heat Related illness के मरीज का पर्याप्त प्राथमिक उपचार करने के बाद ही जिला अस्पताल को रेफर करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों नजदीकी जिला अस्पताल के साथ समन्वय स्थापित करेंगे तथा अधिक संख्या में केस रेफर करने पर उसकी अधिम सूचना जिला अस्पताल को देंगे।

3.	मई	• हिट वेक्स या लू के प्रभाव को कम रकने और गंभीर बीमारी या हीट स्ट्रोक से हाने वाली मौत से बचने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:- ✓ धूप में रहने से बचे, खासकर दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे के बीच। ✓ अपने आप को जितना हो सके उतना पानी से हाइड्रेट करने की कोशिश करें, भले ही आप प्यासे न हों। ✓ सूती कपड़े पहनें जो सांस लेने योग्य, हल्के रंग के हों और झरझरा हों। जब आप बाहर हों, तो धूप का चश्मा लगाएं जो आपकी आंखों का धूप से बचाव करें। ✓ जब बाहर चिलचिलाती धूप हो तो आपको कसरत नहीं करनी चाहिए। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अंदर ही रहे। ✓ आप जब भी घर से निकले अपने साथ पानी लेकर जाएं। ✓ ताजा खाना ही खाएं और ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हों। ✓ यदि आपको बाहर काम करना है, तो टोपी या छाता पहनें और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अंगों को ढकने के लिए एक नम कपड़े का उपयोग करें। ✓ बच्चों या जानवरों को कभी भी खड़ी कार में लावारिस न छोड़ें। ✓ जितनी जल्दी हो सके, आपको चक्कर आने या बेचैनी महसूस होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ✓ लरसी, तोरानी (चावल का पानी) नींबू पानी, छाछ आदि जैसे घर पर बने पेय पदार्थों के साथ ओआरएस का प्रयोग करें। ✓ अपने घर को ठंडा रखने के लिए सनशेड, ड्रेप्स या शटर का इस्तेमाल करें। रात में, खिड़कियों को खुला रखें। • पंखों का प्रयोग करना, नम कपड़े पहने और बार-बार ठंडे पानी से नहाना।
4.	जून	• स्वास्थ्य केन्द्रों पर किसी भी Heat Related illness के मरीज का पर्याप्त प्राथमिक उपचार करने के बाद ही जिला अस्पताल को रेफर करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नजदीकी जिला अस्पताल के साथ समन्वय स्थापित करेंगे तथा अधिक संख्या में केस रेफर करने पर उसकी अग्रिम सूचना जिला अस्पताल के साथ खण्ड स्तर पर भी प्रेषित करना। • खण्ड में गर्मी से बचाव हेतु किए गए कार्यों की जिला स्तर पर माहवार सूचना प्राप्त कर समीक्षा करना।

संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रभारी अधिकारियों के दूरभाष एवं मोबाईल नं. :-

क्र.सं.	अधिकारी/एजेंसी का नाम एवं पदनाम	दूरभाष एवं मोबाईल नं.
1.	श्री जितेन्द्र कुमार सोनी (आई.ए.एस.), जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर	9166755000 0141-2209000 0141-2209001
2.	रुकमणी रियाड़ (आई.ए.एस.), आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर	9660292100
3.	श्री अरुण कुमार आसीजा (आई.ए.एस.), आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज	9413320754
4.	श्रीमती प्रतिभा वर्मा(आई.ए.एस.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर	9216181409 0141-2202039
5.	श्री संतोष कुमार मीणा (आर.ए.एस.) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण एवं सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर	8130366162 0141-2209007
6.	डॉ. रवि शेखावत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम	9166476778 0141-2605858
7.	डॉ मनीष मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय	7665002806 0141-2603426
8.	डॉ बत्तीलाल बैरवा, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद, जयपुर	9887775052
9.	डॉ एस.एन. शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (अ)	9571162249
10.	डॉ पप्पूलाल मीणा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (ब)	8306760403
11.	डॉ. हनुमान सहाय मीणा, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	9828367715
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर शहर उत्तर	9414123522
13.	श्री अनिल शर्मा अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर शहर दक्षिण	9414047986
14.	श्री अजय ढाका, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर जयपुर ग्रामीण	9414336598
15.	श्री अशोक रावत, अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल, जयपुर शहर उत्तर	9413390061
16.	श्री अनिल तोडवाल, अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल, जयपुर शहर दक्षिण	9413390065
17.	श्री राजेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल, जयपुर ग्रामीण	9414018563

18.	श्री त्रिलोक चन्द मीणा, जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम एवं ग्रामीण	9929109127
19.	श्री ओपी सारण, संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर	9413060194
20.	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रथम	9602840449
21.	श्री धमेन्द्र, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वितीय	9413014555
22.	श्री अमित शर्मा, उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा जयपुर	7976026817
23.	श्री हेमन्त, पीआरओ, कलेक्ट्रेट, जयपुर	9571182683
24.	श्री गिराज सिंह, अध्यक्ष, मेरी पहल संस्था, जयपुर	9667500000
25.	प्रिया मोदी, अध्यक्ष, मानव सेवा संस्था, जयपुर	7891333190